न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 12/2026 बउनवानी मोहर सिंह **बनाम** तहसीलदार तलावडा
पुत्र शिवजी लाल गुर्जर निवासी ग्राम टोटोलाई पो0 बूचोलाई तहसील तलावडा

GCMS No-2026/15

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
18.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 17.12..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **ग्राम टोटोलाई के कुछ खसरा नम्बरों के शुद्वि पत्रों को लेकर कुल 8 बिन्दुओं की प्रमाणित प्रति** " तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/26/63 दिनांक 18.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2025 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु 6 लगायत 8 की सूचना के लिए अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये पत्रांक 3–5 दिनांक 2.1.2028 द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी को अन्तरित किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 6 लगायत 8 की सूचना के लिए अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार गंगापुर सिटी को अन्तरित किया गया है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 6 लगायत 8 की सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे उपलब्ध करवावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	